



13

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निवासी 555-I-15

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2015 जिला-गुना

- 1- शकुनबाई पुत्री हरिशंकर पत्नी हेमचन्द्र टेलर
- 2- रुकमणी बाई पुत्री हरिशंकर पत्नी नारायण टेलर
निवासी तलैया मोहल्ला गुना (म.प्र.)
..... आवेदकगण
विरुद्ध

- 1- रामस्वरूप पुत्र हरिशंकर नामदेव
- 2- राजेश पुत्र हरिशंकर नामदेव
- 3- पवन पुत्र श्री हरिशंकर नामदेव
- 4- कमला बेवा हरिशंकर नामदेव
निवासीगण कस्बा कुम्भराज तहसील कुम्भराज जिला - गुना म.प्र.
- 5- हेमलता पुत्री हरिशंकर पुत्र हरिशंकर
निवासी केंट गुना जिला गुना म.प्र.
- 6- चन्दाबाई पुत्री हरिशंकर पति गया प्रसाद
निवासी बूडे बालाजी के पास गुना जिला गुना (म.प्र.)
- 7- रानी पुत्री हरिशंकर पति हरिकिशन
निवासी गुलाब गंज केंट गुना जिला गुना (म.प्र.)
- 8- रंजनी पुत्री हरिशंकर पति गिरीराज
नामदेव दुर्गा कालौनी गुना जिला गुना (म.प्र.)
..... अनावेदकगण

श्री. धर्मेन्द्र चतुर्वेदी - एड.
द्वारा आज दि. 17-3-15 को
प्रस्तुत

for क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

17/3/15

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड चाचौडा जिला गुना द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 26.02.2015 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

R 555-I/15 युना

06-09-2017

आवेदक कृष्णवन्धु श्री क.के.दिवदी उप.।
उन्हे द्वारा उपस्थित होकर उक्त आगे नही
पलार्से जाने के कारण नॉटप्रेस में समाप्त
करने का निवेदन किया गया। विनारोपरांत
निवेदन स्वीकार किया जाकर उक्त
नॉटप्रेस में समाप्त किया जाता है।

[Signature]

[Signature]
अध्यक्ष

Not Press
S
06/09/17